

कार्यालय जिला परिषद, बेगूसराय

आम सूचना

ज्ञापांक- 01/...../जि0प0, दिनांक- 10/03/2018

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, बेगूसराय स्वामित्व वाली (1) बखरी प्रखंड अन्तर्गत परिहारा डाकबंगला परिसर में भूतल पर निर्मित कुल 10 व्यावसायिक दुकानों, (2) बखरी प्रखंड अन्तर्गत बखरी डाकबंगला परिसर में भूतल पर अवस्थित कुल 60 व्यावसायिक दुकानों एवं (3) बछवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत बछवाड़ा डाकबंगला परिसर में भूतल पर अवस्थित कुल 34 व्यावसायिक दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र दिनांक- 12.03.2018 से दिनांक 27.03.2018 तक जिला परिषद, बेगूसराय कार्यालय में कार्यालय कर्षदिवस में प्राप्त किया जा सकता है। दिनांक 28.03.2018 से दिनांक 07.04.2018 तक आवेदन प्रपत्र कार्यालय में जमा किया जायेगा।

डाक/ बंदोबस्ती हेतु - (1) दिनांक 10.04.2018 को बखरी प्रखंड अन्तर्गत परिहारा डाकबंगला परिसर में भूतल पर निर्मित व्यावसायिक दुकानों का डाक (2) दिनांक 11.04.2018 को बखरी प्रखंड अन्तर्गत बखरी डाकबंगला परिसर में भूतल पर निर्मित व्यावसायिक दुकान संख्या 01 से 29 तक का डाक तथा दिनांक 12.04.2018 को दुकान संख्या 30 से 60 तक का डाक एवं (3) दिनांक 13.04.2018 को बछवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत बछवाड़ा डाकबंगला परिसर में भूतल पर निर्मित व्यावसायिक दुकानों का डाक जिला परिषद कार्यालय बेगूसराय, में पूर्वाह्न 11:00 बजे से खुली डाक द्वारा किया जायगा। सभी स्थलों का आवेदन प्रपत्र शुल्क 2,000/- रु0 नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। बिक्री की गयी आवेदन प्रपत्र शुल्क की राशि वापस नहीं की जायेगी। दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर लागत राशि का एक चौथाई अग्रधन (जड़चौथ) की राशि का **DDC-cum-CEO, Zila Parishad, Begusarai** के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किया जायेगा। आवेदन पत्र जमा करने के समय चरित्र प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं हाल का खींचा हुआ 03 रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (सभी स्वअभिप्रमाणित) आवेदन प्रपत्र में संलग्न कर जमा करना अनिवार्य होगा। त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। डाक में सफल डाकवक्ताओं को आवंटित दुकान प्रारंभ करने के पश्चात GST का पंजीयन संख्या साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। दुकान आवंटन/ बंदोबस्ती से संबंधित जानकारी जिला परिषद कार्यालय कार्य अवधि में प्राप्त किया जा सकता है, तथा बेगूसराय जिला के वेबसाईट **Begusarai.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है। किसी भी डाक को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।



उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, बेगूसराय।